

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 175/2021

दिनांक:- 4/7/2021

उनवान

श्री. मनोहर पुत्री
हटना (रायण) जाति (राय)

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवर्गी हल्का सात्मोप भू. अ. नि. सात्मोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सात्मोप प. 0 ह. 0 सात्मोप की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 1148 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	रहन	राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सात्मोप	राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सात्मोप शेष 045505

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स. 0 मा. 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री मनोहर पुत्री हटना (रायण) जाति (राय) नि. सात्मोप
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स. 0 मा. 0)